भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1496

जिसका उत्तर 31 जुलाई, 2026 को दिया जाना है।

09 श्रावण, 1948 (शक)

सार्वजनिक स्थानों पर अश्लील सामग्री देखने पर नियमन

1496. श्री एस. निरंजन रेड्डी:

क्या **इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर, विशेषकर नाबालिगों की उपस्थिति में, अश्लील सामग्री देखने को हतोत्साहित अथवा विनियमित करने हेतु कोई उपाय किए हैं;
(ख) क्या सरकार अश्लील सामग्री के सार्वजनिक रूप से देखे जाने की समस्या के समाधान तथा बच्चों हेतु सुरक्षा उपायों को सुदृढ़ करने के लिए कोई राष्ट्रीय नीति बनाने पर विचार कर रही है;
(ग) विगत पाँच वर्षों के दौरान सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और अन्य संबंधित कानूनों के अंतर्गत ऑनलाइन बाल यौन शोषण सामग्री (सीएसएएम) से संबंधित दर्ज मामलों का वर्ष-वार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और
(घ) सीएसएएम के ऑनलाइन प्रसार तथा अश्लील सामग्री के सार्वजनिक प्रदर्शन को रोकने हेतु कौन-कौन से जागरूकता, तकनीकी और प्रवर्तन संबंधी उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क) से **(घ):** सरकार ने एक खुला, सुरक्षित, विश्वसनीय और जवाबदेह इंटरनेट सुनिश्चित करने और बच्चों को अनुचित सामग्री के संपर्क में आने से बचाने के लिए कई उपाय अपनाए हैं। मौजूदा कानूनी ढांचा निम्नलिखित के माध्यम से व्यापक सुरक्षा उपाय प्रदान करता है:

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000: धारा 67, 67 क और 67 ख में इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील, यौन रूप से स्पष्ट और बाल यौन सामग्री को प्रकाशित/प्रसारित करने के लिए दंड का प्रावधान किया गया है (धारा 67 ख में पहली बार दोषी ठहराए जाने पर पांच साल तक की कैद और दस लाख रुपये तक का जुर्माना और बाद में पुन: दोषी ठहराए जाने पर सात साल तक की कैद के दंड का प्रावधान है)।

भारतीय न्याय संहिता, 2023: धारा 294, 295 और 296 में अश्लील सामग्री की बिक्री, वितरण, प्रदर्शन और प्रसार के लिए दंड का प्रावधान है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक रूप उपलब्ध जानकारी और बच्चों संबंधी ऐसी सूचना सामग्री भी शामिल है।

पॉक्सो अधिनियम, 2012: इसकी धारा 11, 12, 14 और 15 के तहत बच्चों को पोर्नोग्राफ़िक उद्देश्यों के लिए सूचना सामग्री को दिखाने, पोर्नोग्राफी के लिए बच्चों का उपयोग करने और ऐसी सामग्री रखने/संग्रहीत करने पर दंड लगाया गया है।

आईटी नियम, 2021 मध्यवर्तियों पर बच्चों के लिए हानिकारक सूचना सामग्री या अश्लील/पॉर्नोग्राफ़िक सूचना सामग्री को होस्ट होने से रोकने की ज़िम्मेदारी डालते हैं। साथ ही, इन्हें हटाने के लिए सख्त समय-

सीमा भी तय की गई है (कोर्ट या सरकार के आदेशों के लिए तीन घंटे; न्यूडिटी या मॉर्फ्ड सूचना सामग्री के लिए दो घंटे)।

भाग- III में ओटीटी प्लेटफार्मों को आयु-आधारित स्व-वर्गीकरण और आयु-अनुचित सूचना सामग्री के खिलाफ सुरक्षा उपाय करने के लिए अधिदेशित किया गया है। हाल के संशोधनों में एआई से बने कंटेंट, डीपफेक, बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी सामग्री (सीएसएएम) और बिना सहमति के निजी तस्वीरें या वीडियो जैसे मामलों को भी शामिल किया गया है। इस व्यापक ढांचे को देखते हुए, अश्लील कंटेंट को नियंत्रित करने और नाबालिगों की सुरक्षा के लिए पहले से ही खास उपाय मौजूद हैं।

संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत 'पुलिस' और' लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र साइबर अपराधों की रोकथाम, पता लगाने, जांच और अभियोजन के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो अपने प्रकाशन "क्राइम इन इंडिया" में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार और वर्ष-वार आधार पर अपराध के आंकड़े एकत्र और प्रकाशित करता है, जिन्हें https://www.ncrb.gov.in पर देखा जा सकता है।

प्रवर्तन उपायों में आईटी अधिनियम, बीएनएस और स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986 का उल्लंघन करने वाली अश्लील सामग्री के लिए पिछले दो वर्षों में 50 ओटीटी प्लेटफार्मों को अक्षम करना शामिल है। महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यवर्तियों (एसएसएमआई) को बलात्कार, बाल यौन शोषण या पहले से हटाई गई सामग्री को दर्शाने वाली सामग्री की सक्रिय रूप से पहचान करने के लिए स्वचालित टूल तैनात करने के लिए अधिदेशित किया गया है। परामर्शी निदेश (दिनांक 29.12.2025 और 16.03.2026) और गैर-सहमति वाली अंतरंग इमेजरी (11.11.2025 को जारी) पर एक मानक संचालन प्रक्रिया जारी की गई है। आईएसईए परियोजना के तहत जागरूकता प्रयासों के तहत 11.37 लाख+ से अधिक प्रतिभागियों को शामिल करते हुए 6,650 कार्यशालाएं आयोजित की हैं, साथ ही www.isea.gov.in और staysafeonline.in के माध्यम से बहुभाषी सूचना-सामग्री का प्रसार किया गया है । सर्ट-इन नियमित रूप से एआई से संबंधित खतरों और डीपफेक पर दिशानिर्देश जारी करता है और बच्चों के लिए ऑनलाइन सुरक्षा उपायों को साझा करता है।

*****